

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय-वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

पत्र संख्या :- 85

प्रेषक :- डॉ० एस० कुमारसामी, भा.व.से.,
वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



पूर्णियाँ, दिनांक :- 30/1/2023

विषय :- श्री छोटू कुमार द्वारा अररिया जिलान्तर्गत मझुआ मौजा के खाता संख्या - 16, खेसरा संख्या - 1134, थाना संख्या - 73, थाना - रानीगंज में SH-77 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्र संख्या - FC/74/2022-586 दिनांक 30.06.2022 एवं आपका पत्रांक - 2981 दिनांक 15.12.2022

महाशय,

वन प्रमंडल पदाधिकारी अररिया वन प्रमंडल से श्री छोटू कुमार द्वारा अररिया जिलान्तर्गत मझुआ मौजा के खाता संख्या - 16, खेसरा संख्या - 1134, थाना संख्या - 73, थाना - रानीगंज में SH-77 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के भाग - III में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मंतव्य एवं निरीक्षण टिप्पणी अंकित कर प्रस्ताव की 5 (पाँच) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(प्रस्ताव की पाँच मूल प्रतियाँ।)

विश्वासभाजन

वन संरक्षक,

पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

30/1/2023